न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 55 / 2018
दायर दिनांक – 22.05.2018

उनवान

1. गंगाधर पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी चोरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. कानाराम पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी चोरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3. रामनारायण पुत्र नानगा जाति मीणा निवासी चोरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
4. प्रभाती पुत्री नानगा जाति मीणा निवासी चोरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. हरपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छु जाति मीणा निवासी चोरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई

प्रतिवादीगण

उपस्थित –

1. वादीगण की ओर से श्री गोपाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. प्रतिवादी स. 1 की ओर से श्री कन्हैयालाल मीणा अधिवक्ता उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

दावा बाबत हक घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज

–: **निर्णय** :–

दिनांक : 25.04.2022

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 505 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 530 रकबा 12 बिस्वा ग्राम पलेई तहसील निवाई में स्थित है जिसको वादीगण के पिता द्वारा दिनाक 6.9.1972 को हरिसिंह पुत्र सुरज्ञान जाति राजपूत से जरिये विक्रय पत्र सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन क्रय की गयी थी वादीगण के पिता की मृत्यु दिनाक 19.11.2014 को हो चुकी है व वादीगण के पिता के साथ मे वादीगण के काका हरपाल पुत्र लछीराम उर्फ लच्छु ने 2 बीघा भूमि क्रय की थी जब से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपनी खरीदशुदा जमीन पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त भूमि में वादीगण के पिता व वादीगण के काका प्रतिवादी स. 1 का बराबर – बराबर हक हिस्सा गलत रुप से अंकित कर दिया जिससे राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हो गयी है एवं वादीगण अपनी भूमि से वंचित हो गये है। वादीगण अपने पिता के समय से ही 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर निर्बाध रुप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु वादीगण के नाम विक्रय पत्र के अनुसार 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि नही होने से वादीगण अपने जायज हक हित से महरुम हो गये है यदि वादीगण को 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित नही किया गया तो वादीगण नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी। लिहाजा वादीगण को उक्त भूमि में 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। अतः वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण उद्घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज का इस अमर से डिक्री फरमावें कि वादीगण के पिता की जरिये विक्रय पत्र क्रयशुदा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि है का अर्थात 87 / 127 हिस्से का

वादीगण को एवं 40/127 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है।

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा के अनुसार वादीगण के पिता द्वारा 4 बीघा 7 बिस्वा जमीन क्रय की गयी थी एवं वादीगण के काका प्रतिवादी सं. 1 हरपाल द्वारा मात्र 2 बीघा भूमि क्रय की थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से उक्त भूमि में वादीगण के पिता व वादीगण के काका प्रतिवादी सं. 1 का बराबर – बराबर हक हिस्सा गलत रुप से अंकित कर दिया जिससे राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हो गई है एवं वादीगण को 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का अर्थात 87/127 हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को 2 बीघा भूमि का अर्थात 40/127 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। इसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की डिक्री फरमायी जाने में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति एवं उज्र नही है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसके अनुसार वादीगण के पिता की जरिये विक्रय पत्र क्रयशुदा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का अर्थात 87/127 हिस्से का वादीगण को एवं 40/127 हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे जिसमें मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति व उज्र नही है। पेरोकार सरकार द्वारा वाद पत्र में जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे बहस करना जाहिर किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.04.2022 को पेश हुयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि दिनांक 10.03.2022 को माननीय न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष द्वारा जो राजीनामा प्रस्तुत किया गया था उसके अनुसार वाद डिक्री कर दिया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अधिवक्ता वादीगण के कथन की पुष्टि की जाकर कथन किया गया कि मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी सं. 1 को कोई आपत्ति नही होगी। पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि यदि राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो कोई राजस्व हानि नही होगी। हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2072–75 ग्राम पलेई पटवार मण्डल पलेई तहसील निवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र 21.11.2014, ग्राम पंचायत खणदेवत द्वारा जारी प्रमाण –पत्र दिनांक 05.02.2016, विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1972 की छाया प्रति का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट है कि श्री हरिसिंह पुत्र सुरज्ञानसिंह जाति रापजूत सा0 पलेई तहसील निवाई द्वारा आराजी ख0नं0 505 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारनी अव्वल, ख0नं0 530 रकबा 12 बिस्वा किस्म बंजड डोल ग्राम पलेई पटवार मण्डल पलेई का विक्रय श्री नानगा पुत्र लछीराम एवं श्री हरपाल पुत्र लछीराम जाति मीणा ग्राम चौरपुरा तहसील निवाई को विक्रय की गयी थी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1972 को पंजीकृत किया गया था। उक्त विक्रय पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपर वर्णित आराजियात में नानगा पुत्र लछीराम ने 4 बीघा 7 बिस्वा एवं हरपाल पुत्र लछीराम ने 2 बीघा कृषि भूमि क्रय की थी। जमाबंदी संवत् 2072–75 ग्राम पलेई तहसील निवाई के खाता संख्या 107 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आराजी ख0नं0 505 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा एवं ख0नं0 530 रकबा 12 बिस्वा नानगा हरपाल पि. लक्ष्मीनारायण जाति मीणा सा. चोरपुरा के नाम संयुक्त रुप से खातेदारी में हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है जबकि मुताबिक विक्रय पत्र के यह गलत है जिससे सही किया जाना यह न्यायालय उचित समझती है। पत्रावली में संलग्न राजीनामा का अध्ययन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादपत्र को स्वीकार करने बाबत अपनी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

सहमति प्रदान की गयी है। अतः न्यायालय प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया उचित समझती है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को आदेश दिया जाता है कि ख0नं0 505 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 530 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम पलेई तहसील निवाई में वादीगण को 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का अर्थात 87/127 हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 1 को 2 बीघा भूमि का अर्थात 40/127 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार निवाई उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री तरतीब की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर रहे।

आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

25/4

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई